निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
100/2016	5.10.2016	31.1.2018

1. नानगा पुत्र रूग्गा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. बच्चूसिंह पुत्र कल्याण, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. धर्मसिंह पुत्र कल्याण, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
4. लाला पुत्र कल्याण, गुर्जर निवासी टटवाडा तह0 गंगापुर सिटी——वादीगण

बनाम

1. शिम्भू पुत्र केदार, महाजन नि0 टटवाडा हाल वासी राजबाग,सवाईमाधोपुर
2. रमेश पुत्र केदार, महाजन नि0 टटवाडा हाल वासी राजबाग,सवाईमाधोपुर
3. लैण्ड होल्डर जरिए उप तहसीलदार तलावडा ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री रवि शंकर शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण नानगा वगैरा गुर्जर निवासी टटवाडा ने इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0नं0 216 रकबा 29 एयर ग्राम टटवाडा की खातेदारी केदार पुत्र मूलचन्द महाजन के नाम दर्ज रही है। इस भूमि का सेटिलमेंट के समय ख0नं0 681 रकबा 29 एयर व सेटिलमेंट से पूर्व ख0नं0 316 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा रहा है। खातेदार केदार पुत्र मूलचन्द द्वारा ख0नं0 316 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7.6.82 वादी नं0 1, वादी नं0 2 ता 4 के पिता कल्याण को विक्रय कर मौके पर कब्जा संभला दिया परन्तु उस समय सेटिलमेंट का कार्य चल रहा था एवं सेटिलमेंट कार्य पूर्ण हो जाने के बाद विक्रेता केदार व क्रेता कल्याण की मृत्यु हो जाने के कारण भूमि का नामान्तरकरण वादीगण के नाम नहीं खुल सका जबकि क्रेतागण भूमि के काबिज खातेदार रहे हैं। इस क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने जब वादीगण दिनांक 20.9.2016 को पटवारी हलका के पास गए तो पटवारी ने कहा कि भूमि का खातेदार केदार फौत हो गया है तथा उसके वारिसों की सहमति से वह वादीगण के नाम नामान्तरकरण खोल सकता है। वादीगण इस पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 से मिले तो उन्होने न्यायालय में जाकर कार्यवाही करने हेतु कहा। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि भूमि ख0नं0 216 रकबा 29 एयर ग्राम टटवाडा का वादी सं0 1, 1/2 हिस्से का व वादी सं0 2 ता 4, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर

हैं। भूमि से केदार का नाम हजफ किया जाकर वादीगण के नाम इन्द्राज किए जावें। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण को उपरोक्त भूमि के उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करेंन किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया ।

प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अपने जबाब दावे में वादीगण के दावे को स्वीकार करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है ।

प्रतिवादी नं0 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 प्रदर्श–1, नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2056–59 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श–3, नकल जमाबंदी सं0 2027 से 2030 प्रदर्श–4, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 प्रदर्श–5, नकल विक्रय पत्र दि0 7.6.82 प्रदर्श–6 पेश किए हैं एवं बयान वादी नानगा पी0डब्लू0 1, बयान वादी बच्चू सिंह पी0डब्लू0 2 कराए हैं। इसके अतिरिक्त वादीगण ने मृतक कल्याण के वारिसों का सरपंच ग्राम पंचायत नारायणपुर टटवाडा द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र दिनांक 1.1.18 भी पेश किया है। इस प्रमाण पत्र में मृतक कल्याण के 3 पुत्र व 3 पुत्री बताए गए हैं।

दिनांक 11.1.18 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 के वकील एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1, 2 हाजिर अदालत नहीं हुए अतः प्रतिवादी संख्या 1, 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

बहस विद्धान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्धान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया ।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल विक्रय पत्र दिनांक 7.6.92 प्रदर्श–6 के अनुसार केदारलाल पुत्र मूलचन्द महाजन ने ख0नं0 316 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा का विक्रय वादी नं0 2, 3, 4 के पिता कल्याण को व वादी नानगा को किया है। नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध प्रदर्श–3 के अनुसार ख0नं0 316 का नवीन नम्बर 681 रकबा 29 एयर बना । ग्राम नारायणपुर व टटवाडा पृथक पृथक गांव होने पर ख0नं0 681 का ख0नं0 216 बना जो नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 प्रदर्श–1 के अनुसार केदार पुत्र मूलचन्द की खातेदारी में दर्ज है। चूंकि केदार पुत्र मूलचन्द इस भूमि को वादी नानगा व मृतक कल्याण को दिनांक

बाबू लाल जाट
... जिला कलेक्टर

7.6.82 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर चुका था एवं अब केदार की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों ने भूमि वादीगण के नाम लगाने बाबत् अपना जबाब दावा प्रस्तुत कर दिया है इसलिए वादीगण वादग्रस्त भूमि ख0नं0 216 रकबा 29 एयर ग्राम टटवाडा की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 216 रकबा 29 एयर ग्राम टटवाडा में वादी नानगा पुत्र रूग्गा गुर्जर को 1/2 हिस्से का तथा बच्चूसिंह, धर्मसिंह, लाला पुत्रगण कल्याण, कावेरी, लाली, सुशीला पुत्रियां कल्याण गुर्जर को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि केदार पुत्र मूलचन्द, महाजन की खातेदारी से कम की जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.1.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

बाबू लाल जाट
उपखण्ड अधिकारी / उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (सवामा)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Judi/Civil
Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

1. नानगा पुत्र रूग्गा, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
2. बच्चूसिंह पुत्र कल्याण, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
3. धर्मसिंह पुत्र कल्याण, गुर्जर निवासी टटवाडा तहसील गंगापुर सिटी
4. लाला पुत्र कल्याण, गुर्जर निवासी टटवाडा तह0 गंगापुर सिटी——वादीगण

बनाम

1. शिम्भू पुत्र केदार, महाजन नि0 टटवाडा हाल वासी राजबाग,सवाईमाधोपुर
2. रमेश पुत्र केदार, महाजन नि0 टटवाडा हाल वासी राजबाग,सवाईमाधोपुर
3. लैण्ड होल्डर जरिए उप तहसीलदार तलावडा ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 100/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रविशंकर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ——— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 216 रकबा 29 एयर ग्राम टटवाडा में वादी नानगा पुत्र रूग्गा गुर्जर को 1/2 हिस्से का तथा बच्चूसिंह, धर्मसिंह, लाला पुत्रगण कल्याण, कावेरी, लाली, सुशीला पुत्रियां कल्याण गुर्जर को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि केदार पुत्र मूलचन्द, महाजन की खातेदारी से कम की जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.1.2018 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		